

- (ट) अनचाहे घास—फूस, जंगली झाड़ियों को हटाना, अनुपयोगी कुओं, अखबच्छ तालाबों, खुड़दों, गड्ढों आदि को भरना, सिंचित क्षेत्रों में जल जमाव की रोकथाम तथा स्वच्छता स्थितियों में अन्य सुधार;
- (ठ) मातृत्व तथा बाल कल्याण;
- (ड) मानव तथा पशु टीकाकरण को प्रोत्साहन;
- (ढ) खाद गड्ढों का प्रबन्ध तथा अनुरक्षण;
- (ण) सुव्यवस्थित पशुपालन तथा आवारा पशुओं तथा कुत्तों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाना;
- (त) खतरनाक अथवा आपराधिक व्यापारों अथवा प्रवृत्तियों का नियंत्रण, जाँच और उसे समाप्त करना;
- (थ) सार्वजनिक गतियों और स्थानों पर जलापूर्ति करना;
- (द) सार्वजनिक गतियों, रथानों तथा नालों की सफाई, सभी रथानों, जो सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं हैं, जो लोगों के मनोरंजन के लिए खुला है, चाहे वह रथान परिषद के अधिकार में है या नहीं, से अनचाहे सब्जावागों को हटाना तथा कमियों को दूर करना।
- (ध) आग लगने पर इसे बुझाकर जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना;
- (न) सार्वजनिक सड़कों अथवा रथानों और जो सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं है, ऐसे रथानों, जो लोगों के मनोरंजन के लिए खुला है, चाहे वह रथान परिषद के अधिकार में है या नहीं, से बाधाओं को हटाना;
- (प) खतरनाक भवनों अथवा रथानों को सुरक्षित करना अथवा हटाना;
- (फ) सार्वजनिक सड़कों, पुलिया, परिषद सीमा चिन्ह, मार्केट, बूचड़खाना, पेशावधार, नालों, जल निकासी कार्य, रनान और धुलाई के रथानों, पेयजल के नलों, टैंकों, बाँधों जैसे रथानों का निर्माण, रद्दोबदल तथा अनुरक्षण;
- (ब) निवासियों के स्वारक्ष्य को वर्तमान जलापूर्ति की अपर्याप्तता के खतरों से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त तथा अतिरिक्त जलापूर्ति प्राप्त करना जब ऐसी आपूर्ति अथवा अतिरिक्त आपूर्ति उचित दर पर प्राप्त की जा सकती हो।
- (भ) इन विनियमों के प्रयोजनों अथवा ग्राम परिषद की किसी भी सम्पत्ति के संरक्षण के लिए ग्राम परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस अथवा गार्डों के सम्भाव्य खर्चों का और वेतन का भुगतान करना;
- (म) अकाल और किल्लत के समय ग्राम परिषद सीमा के भीतर लोगों को राहत प्रदान करना और राहत कार्य शुरू करना और रखरखाव करना।